इसे बेवसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249] भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 सितम्बर 2025—भाद्र 17, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्र. 8592—158—इक्कीस—अ (प्रा.).— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 सितम्बर 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् २०२५

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२५

विषय – सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा १२ का संशोधन.

४. धारा १३ का संशोधन.

५. धारा १७ का संशोधन.

६. धारा २० का संशोधन.

७. धारा ३४ का संशोधन,

८. धारा ३८ का संशोधन.

९. धारा ३९ का संशोधन.

१०. धारा १०७ का संशोधन.

११. धारा ११२ का संशोधन,

१२. नई धारा १२२ख का अंतःस्थापन,

१३. नई धारा १४८क का अंतःस्थापन.

१४. अनुसूची ३ का संशोधन.

१५. संग्रहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् २०२५

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२५

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

[दिनांक ३ सितम्बर २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ८ सितम्बर २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई]

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२५ है.

(२) अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधो के लिए विभिन्न तारीख नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी ऐसे उपबंध में किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के निर्देश के रूप में किया जाएगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १६ सन् २०१७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) में धारा २ में,–

(एक) खण्ड (६१) में, शब्द और अंक "धारा ६" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक और अंक "इस अधिनियम या समेकित माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १३ सन् २०१७) की धारा ५ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन" १ अप्रैल, २०२५ से अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(दो) खण्ड (६६) में,–

(क) उप–खण्ड (ग) में, शब्द "नगरपालिका या स्थानीय निधि" के स्थान पर, शब्द "नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि" स्थापित किए जाएं;

(ख) उप–खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"स्पष्टीकरण,– इस उप–खण्ड के प्रयोजन के लिए–

(क) "स्थानीय निधि" से अभिप्रेत है, किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में लोक कृत्यों के निर्वहन करने के लिए स्थापित और किसी कर, शुल्क टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजित करने के लिए, शक्तियों के साथ विधि द्वारा निहित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि;

(ख) "नगरपालिका निधि" से किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शक्तियों के साथ विधि द्वारा निहित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि';

(तीन) खण्ड (११६) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''(११६क) "विशिष्ट पहचान चिह्नांकन" से अभिप्रेत है, धारा १४८क की उपधारा (२) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन और जिसमें डिजिटल मुहर, डिजिटल चिह्न या अन्य उसी प्रकार का चिह्नांकन, जो विशिष्ट सुरक्षित और न हटाये जा सकने योग्य हो, भी सम्मिलित हैं.".

धारा १२ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १२ में, उपधारा (४) का लोप किया जाए.

धारा १३ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १३ में, उपधारा (४) का लोप किया जाए.

धारा १७ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १७ में, उपधारा (५) में, खण्ड (घ) में,–

(एक) शब्द "संयंत्र या मशीनरी" के स्थान पर, शब्द "संयंत्र और मशीनरी" स्थापित किए जाएं और इन्हें १ जुलाई, २०१७ से स्थापित किया गया समझा जाए;

(दो) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण १ के रूप में क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार क्रमांकित स्पष्टीकरण १ के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण २–खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, "संयंत्र या मशीनरी" के किसी प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाए तथा "संयंत्र और मशीनरी" के प्रति निर्देश के रूप में सदैव अर्थ लगाया गया समझा जाए.".

धारा २० का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा २० में, १ अप्रैल, २०२५ से,–

(एक) उपधारा (१) में, शब्द तथा अंक "धारा ६" के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "इस अधिनियम की या समेकित माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ५ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन" अन्तःस्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द तथा अंक "धारा ६" के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "इस अधिनियम की या समेकित माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ५ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन" अन्तःस्थापित किए जाएं;

धारा ३४ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ३४ में, उपधारा (२) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परंतु आपूर्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि–

(एक) जहां ऐसा प्राप्तकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमापत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसे वापस नहीं किया गया है; या

(दो) अन्य मामलों में, ऐसी पूर्ति पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाल दिया गया हो.".

धारा ३८ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ३८ में,–

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "स्वतः सृजित विवरण" के स्थान पर, शब्द "कोई विवरण" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में,–

(क) शब्द "के अधीन स्वतः जनित विवरण" के स्थान पर, शब्द "में निर्दिष्ट विवरण" स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (क) में, शब्द "और" का लोप किया जाए;

(ग) खण्ड (ख) में, शब्द "प्राप्तकर्ता द्वारा" के पश्चात्, शब्द "सम्मिलित" अन्तःस्थापित किया जाए;

(घ) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जैसे कि विहित किए जाएं.".

धारा ३६ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ३६ में, उपधारा (१) में, शब्द "और ऐसे समय के भीतर" के स्थान पर, शब्द "ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन" स्थापित किए जाएं.

धारा १०७ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा १०७ में, उपधारा (६) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में, ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलार्थी द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो.".

धारा ११२ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ११२ में, उपधारा (८) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलार्थी द्वारा धारा १०७ की उपधारा (६) के परंतुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो.".

नई धारा १२२ख का अंतःस्थापन. खोज और अनुसरण क्रिया विधि के अनुपालन में असफल होने पर शास्ति.

१२. मूल अधिनियम की धारा १२२क के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"१२२ख. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अधिनियम की धारा १४८क की उपधारा (१) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कृत्य करता है, तो वह अध्याय १५ या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त ऐसे माल पर संदेय कर के एक लाख रुपए की रकम के समतुल्य या उसकी दस प्रतिशत रकम, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा.".

नई धारा १४८क का अंतःस्थापन. कतिपय माल के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि.

१३. मूल अधिनियम की धारा १४८ के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"१४८क. (१) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,—

(क) माल;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो ऐसे माल को रखता है या उसमें व्यवहार करता है,

को, जिन्हें इस धारा के उपबंध लागू होंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी.

(२) सरकार, उपधारा (१) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में,—

(क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जैसे कि विहित किए जाएं, विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाने में तथा इलेक्ट्रानिक भंडारण और उसमें अंतर्विष्ट सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी; और

(ख) ऐसे माल के लिए उसमें अभिलिखित की जाने वाली जानकारी को सम्मिलित करते हुए किसी विशिष्ट पहचान चिह्नांकन को विहित कर सकेगी.

(३) उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, —

(क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति में, कोई विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाएंगे;

(ख) ऐसे समय के भीतर, ऐसी जानकारी और ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे, ऐसे प्ररुप और रीति में, ऐसे अभिलेख या दस्तावेज रखेंगे;

(ग) ऐसे माल, जिसके अंतर्गत पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और ऐसे अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित है, के विनिर्माण के कारबार के स्थान में संस्थापित मशीनरी के ब्यौरे ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा;

(घ) उपधारा (२) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी रकम का संदाय करेगा, जैसी कि विहित की जाए.".

अनुसूची ३ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की अनुसूची ३ में,–

(एक) पैरा ८ में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए और इसे १ जुलाई, २०१७ से अंतःस्थापित किया गया समझा जाए, अर्थात् :–

"(कक) किसी व्यक्ति को घरेलू टैरिफ क्षेत्र के या निर्यात के लिए अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र में भांडागार में रखे गए माल की पूर्ति;";

(दो) स्पष्टीकरण २ में, शब्दों "के प्रयोजनों के लिए" के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक एवं अक्षर "के खण्ड (क)" अन्तः स्थापित किए जाएं और १ जुलाई, २०१७ से अन्तःस्थापित किए गए समझे जाएं;

(तीन) स्पष्टीकरण २ के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जाए और इसे १ जुलाई, २०१७ से अंतःस्थापित किया गया समझा जाए, अर्थात् :–

''स्पष्टीकरण ३– पैरा ८ के खण्ड (कक) के प्रयोजनों के लिए, "विशेष आर्थिक जोन" "मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र" और "घरेलू टैरिफ क्षेत्र" अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, २००५ (२००५ का २८) की धारा २ में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं.''.

संग्रहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं.

१५. समस्त ऐसे करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संग्रहीत किए गए हैं किंतु जो इस प्रकार संग्रहीत नहीं किए गए होते, यदि खण्ड १४ सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त हुआ होता.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्र. 8592–158–इक्कीस–अ (प्रा.).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 19 OF 2025

THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2025

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 12.
4. Amendment of Section 13.
5. Amendment of Section 17.
6. Amendment of Section 20.
7. Amendment of Section 34.
8. Amendment of Section 38.
9. Amendment of Section 39.
10. Amendment of Section 107.
11. Amendment of Section 112.
12. Insertion of new Section 122B.
13. Insertion of new Section 148A.
14. Amendment of Schedule III.
15. No refund of tax collected.

MADHYA PRADESH ACT

No. 19 OF 2025

THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2025

[Received the assent of the Governor on the 3rd September 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra Ordinary)" dated the 8th September, 2025.]

An Act, further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-sixth year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025.

(2) Save as otherwise provided in the Act, the provisions of this Act shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint :

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of Section 2.

2. In the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) (hereinafter referred to as the principal Act), in Section 2,-

(i) in clause (61), after the word and figure "section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 13 of 2017)" shall be inserted with effect from 1st day of April, 2025;

(ii) in clause (69),-

(a) in sub-clause (c), for the words " a municipal or local fund", the words "a municipal fund or local fund" shall be substituted;

(b) after sub-clause (c), the following *Explanation* shall be inserted, namely:-

"Explanation.- For the purpose of this sub-clause-

(a) "local fund" means any fund under the control or raanagement of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;

(b) "municipal fund" means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Metropolitan area or Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax. duty, toll, cess or fee, by whatever name called;";

(iii) after clause (116), the following clause shall be inserted, namely:-

"(116A) 'unique identification marking' means the unique identification marking referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 148A and includes a digital stamp, digital mark or any other similar marking, which is unique. secure and non-removable;".

3. In Section 12 of the principal Act, sub-section (4) shall be omitted. **Amendment of Section 12.**

4. In section 13 of the principal Act, sub-section (4) shall be omitted. **Amendment of Section 13.**

5. In Section 17 of the principal Act, in sub-section (5), in clause (d),- **Amendment of Section 17.**

(i) for the words "plant or machinery", the words "plant and machinery" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017;

(ii) the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof and after Explanation 1, as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation 2.- For the purposes of clause (d), it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal, or other authority, any reference to "plant or machinery shall be construed and shall always be deemed to have been construed as a reference to "plant and machinery.".

6. In Section 20 of the principal Act, with effect from the 1st day of April, 2025,- **Amendment of Section 20.**

(i) in sub-section (1), after the word and figure "Section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017" shall be inserted;

(ii) in sub-section (2), after the word and figure "section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of Section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017," shall be inserted.

7. In Section 34 of the principal Act, in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 34.**

"Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the-

(i) input tex credit as is attributable to such a credit note, if availed, has not been reversed by the recipient, where such recipient is a registered person; or

(ii) incidence of tax on such supply has been passed on to any other person, in other cases.".

8. In Section 38 of the principal Act,- **Amendment of Section 38.**

(i) in sub-section (1), for the words "an auto-generated statement", the words "a statement" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2),-

(a) for the words "auto-generated statement under", the words "statement referred in" shall be substituted;

(b) in clause (a), the word "and" shall be omitted;

(c) in clause (b), after the words "by the recipient,", the word "including" shall be inserted;

(d) after clause (b), the following clause shall be inserted. namely:-

"(c) such other details as may be prescribed.".

Amendment of Section 39.

9. In Section 39 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "and within such time", the words "within such time, and subject to such conditions and restrictions" shall be substituted.

Amendment of Section 107.

10. In Section 107 of the principal Act, in sub-section (6), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten percent of the said penalty has been paid by the appellant.".

Amendment of Section 112.

11. In Section 112 of the principal Act,, in sub-section (8), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub-section (6) of Section 107 has been paid by the appellant.".

Insertion of new Section 122B.

12. After Section 122A of the principal Act, the following new Section shall be inserted, namely:-

Penaalty for failure to comply with track and trace mechanism.

"122B. Notwithstanding anything contained in this Act, where any person referred to in clause (b) of sub-section (1) of Section 148A acts in contravention of the provisions of the said Section, he shall, in addition to any penalty under Chapter XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten percent of the tax payable on such goods, whichever is higher.".

Insertion of new Section 148A.

13. After Section 148 of the principal Act, the following new Section shall be inserted, namely:-

Track and trace mechanism for certain goods.

"148A. (1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify,-

(a) the goods;

(b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods,

to which the provisions of this Section shall apply.

(2) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (a) of sub-section (1),-

(a) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and

(b) prescribe the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein.

(3) The persons referred to in sub-section (1), shall,-

(a) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner;

(b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner;

(c) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity, duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner,

(d) pay such amount in relation to the system referred to in sub-section (2), as may be prescribed.".

Amendment of Schedule III.

14. In Schedule III of the principal Act,-

(i) in paragraph 8, after clause (a), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

"(aa) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area;";

(ii) in Explanation 2, after the words "For the purposes of", the words, brackets and letter "clause (a) of" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017;

(iii) after Explanation 2, the following Explanation shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

"Explanation 3.-For the purposes of clause (aa) of paragraph 8, the expressions "Special Economic Zone", "Free Trade Warehousing Zone" and "Domestic Tariff Area" shall have the same meanings respectively as assigned to them in Section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (No. 28 of 2005).".

No refund of tax collected.

15. No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had clause 14 been in force at all material times.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.